

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई/चि.अ./आर-2514/2024/
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जालोर।

दिनांक :

विषय: डॉ० रविन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी भीनमाल के सम्बन्ध में।
संदर्भ: आपका पत्रांक 194 दिनांक 23.01.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा डॉ० रविन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी भीनमाल का दिनांक 27.05.2019 से 15.09.2019 तक का एपीओ अवधि के नियमन के प्रस्ताव प्रेषित किये हैं।

अतः प्रशासनिक विभाग के निर्देशानुसार चिकित्सक का दिनांक 28.05.2019 से 09.04.2020 तक का अवकाश खाते का विवरण निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 06/06/2024

क्रमांक: ई/चि.अ./आर-2514/2024/246

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर।
3. प्रभारी राजहैल्थ पोर्टल अनुभाग, मुख्यालय।
- ✓ 4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति विभागीय बेवसाईट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल वास्ते।
5. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
7770232

Document certified by RAVI PRAKASH
SHARMA <dydravisharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation: Additional Director
Date :05-06-2024 11:27:20